संख्या-56/2025/219(1)/60-1-2025

(सी-1727751)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 12 दिसम्बर, 2025**

विषयः- लघु निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1/312650/निदे0म0क0/प्रोबे0/रा0सम्प्रे0गृ0/भ0नि0-01/ई-333168/25-26, दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभाग के अन्तर्गत जनपदों में संचालित राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 356.92 लाख (रूपये तीन करोड़ छप्पन लाख बानवें हजार मात्र) की कार्य योजना उपलब्ध कराते हुये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनपदों में संचालित राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-06-विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष निम्न कार्य योजना हेतु रू0 356.92 लाख (रूपये तीन करोड़ छप्पन लाख बानवें हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य योजना	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)
1	जनपद-बुलन्दशहर में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के भवन में बच्चों के खेलकूद हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल पर बाउण्ड्रीवाल गेट आदि का निर्माण कराया जाना है।	रू0 43.45
2	जनपद-कानपुर नगर में राजकीय बाल गृह (बालिका) यूनिट-1 के भवन	रू0 39. 84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	में डायनिंग हाल, टॉयलेट व अन्य लघु निर्माण कार्य कराया जाना है।	
3	जनपद-कानपुर नगर में राजकीय बाल गृह (बालिका) यूनिट-2 के भवन में सीवर लाइन का निर्माण व अन्य निर्माण कार्य कराया जाना है।	रू0 61.96
4	जनपद-कानपुर नगर में राजकीय बाल गृह (बालक) के भवन में शौचालय की स्थापना, इण्टरलांकिग टाईल्स व अन्य निर्माण कार्य कराया जाना है।	रू0 30.38
5	जनपद-फर्रुखाबाद में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के भवन में स्टोर एवं जिम का निर्माण कार्य कराया जाना है।	रू0 16.47
6	जनपद-मेरठ में राजकीय बाल गृह (बालक) के भवन के प्रथम व द्वितीय तल पर स्थित कक्षों में मरम्मत एवं सुधार / सौन्दर्यीकरण हेतु लघु निर्माण कार्य प्रस्तावित है।	रू0 89.60
7	जनपद-हरदोई में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के भवन में बाउण्ड्रीवाल, डाइनिंग हाल, गृह की छत एवं फर्श की मरम्मत का कार्य एवं गृह में 02 नवीन शौचालय का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।	रू0 75.22
	कुल योग	**रू0 356.92 लाख**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनॉक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(4) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(16) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 5.00 करोड तक के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं उनके औचित्य का परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

(17) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलबध कराया जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,56,92,000 (रुपये तीन करोड़ छप्पन लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखा शीर्षक-4235021030600-विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।